उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
(एमएसएमई कक्ष)

क्रमांक 7/एमएसएमई/(2)/17/ 5392- 5489 भोपाल, दिनांक 20/11/2019

प्रति,

1. संयुक्त संचालक उद्योग,
   परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय,
   समस्त
2. महाप्रबंधक,
   जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
   समस्त

विषयः- प्रदेश की सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों के उत्साहर्वधन हेतु वर्ष 2018-19 के पुरस्कार हेतु आवेदन कराने बाबत्।

संदर्भः- संचालनालय का पत्र क्र0 4965-5036 दिनांक 24.10.2019

-000-

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि मध्य प्रदेश शासन, सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा प्रदेश में स्थापित सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना 2018-19 दिनांक 7.10.2019 को जारी की गई है जो कि विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित है।

वर्ष 2018-2019 के लिये पुरस्कार योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में स्थापित सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यमों से प्रस्ताव प्राप्त करने हेतु दिनांक 17.11.2019 के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कराई गई है। इच्छुक इकाईयां पुरस्कार हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवश्यक सहपत्रों के साथ विभागीय पोर्टल mpmsme.gov.in पर आवेदन ऑनलाइन कर सकती हैं, पूर्ण आवेदन मात्र ऑनलाइन ही स्वीकार किये जावेंगे। निर्धारित योजनांतर्गत निर्धारित प्रपत्र एवं अन्य आवश्यक जानकारी विभागीय पोर्टल mpmsme.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक इकाईयां विभागीय पोर्टल mpmsme.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 10.12.2019 तक प्रस्तुत कर सकती हैं।

कृपया आपके जिले में स्थित समस्त सूक्ष्म,लघु और मध्यम इकाईयों को आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित करने का कष्ट करें एवं प्रत्येक जिले से कम से कम तीन इकाईयों को पुरस्कार हेतु ऑनलाइन आवेदन करवा कर की गई कार्यवाही से संचालनालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

(अम्बरीष अधिकारी)
उप संचालक उद्योग
कृते उद्योग आयुक्त म.प्र.

क्रमांक 7/एमएसएमई/(2)/17/ 5392- 5489 भोपाल, दिनांक 20/11/19

प्रतिलिपि-1

1 राज्य/जिला स्तरीय औद्योगिक संगठन समस्त की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उपरोक्तानुसार अधिक से अधिक इकाईयों को आवेदन हेतु प्रोत्साहित करने का कष्ट करें।

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक एफ 06–06/2019/अ–तेहत्तर | भोपाल, दिनांक 07/10/2019

प्रति,

उद्योग आयुक्त,
उद्योग संचालनालय,
विंध्याचल, भवन, भोपाल

विषय :–प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों उत्साहवर्धन हेतु राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना 2018–19।

संदर्भ :–उद्योग संचालनालय की टीप 7/एम.एस.एम.ई./(2)/2017 दिनांक 27.09.2019।

—–000—–

राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश के उत्कृष्ट सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रतिवर्ष पुरस्कृत करने हेतु पूर्व में विभागीय पत्र क्रमांक एफ 6–47/07/अ–ग्यारह दिनांक 14.11.2007 से जारी "सूक्ष्म/लघु उद्यम राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना" को अधिक्रमित करते हुए, "सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगों के लिए राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना" संलग्न परिशिष्ट स्वीकृत करता है।

2/ उक्त योजना को वित्त विभाग द्वारा यू.ओ. क्रमांक 323/418/ब–02/2019/वि, दिनांक 20.09.2019 से सहमति प्रदान की है।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पर्वत सिंह)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

एम.एस.एम.ई. भोपाल (म.प्र.)
782
10 OCT 2019
एम.एस.एम.ई.आवक क्र.

क्रमांक एफ 06–06/2019/अ–तेहत्तर | भोपाल दिनांक /10/2019

प्रतिलिपिः–

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
3. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल। कृपया उक्त पुरस्कार के संबंध में प्रदेश के समस्त औद्योगिक संगठनों को अवगत कराने का कष्ट करें।
4. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, माननीय मंत्री जी, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग (करबला रोड), भोपाल।
5. फाईल फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग

सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगों के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना

मध्यप्रदेश के सूक्ष्म/लघु/मध्यम उद्योगों को उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना संचालित है। इस पुरस्कार योजना में संशोधन किया जाकर निम्नानुसार संशोधित **राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना** प्रभावी की जाती है।

1. **योजना का नामः-**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना।

2. **उद्देश्यः-**

प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम श्रेणी के उद्यमियों को श्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिये प्रेरित करने तथा उनमें अपने उद्योगों में बेहतर प्रक्रियाओं एवं व्यवस्थाओं को स्थापित करने की दृष्टि से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा यह पुरस्कार योजना लागू की गई है। इस पुरस्कार योजना से जहां एक ओर उत्कृष्ट कार्य करने वाली औद्योगिक इकाइयों को पहचान मिलेगी वहीं अन्य औद्योगिक इकाइयों को श्रेष्ठ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

3. **पुरस्कार राशिः-**

योजनान्तर्गत पुरस्कार में सूक्ष्म, लघु उद्योगों के साथ मध्यम श्रेणी के उद्योगों को सम्मिलित कर निम्नानुसार पुरस्कार प्रदान किये जायेंगे:-

(i) प्रथम पुरस्कार रूपये 2.50 लाख एवं प्रशस्ति पत्र

(ii) द्वितीय पुरस्कार रूपये 1.50 लाख एवं प्रशस्ति पत्र

(iii) तृतीय पुरस्कार रूपये 1.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र ।

उक्त श्रेणी के अतिरिक्त निम्न श्रेणी के उद्यमियों को **विशेष पुरस्कार** प्रदान किये जायेंगे:-

(i) महिला श्रेणी की उद्यमी को रूपये 50,000/- एवं प्रशस्ति पत्र

(ii) दिव्यांग श्रेणी के उद्यमी को रूपये 50,000/- एवं प्रशस्ति पत्र

(iii) एससी/एसटी श्रेणी के उद्यमी को रूपये 50,000/- एवं प्रशस्ति पत्र।

महिला/दिव्यांग/एससी/एसटी श्रेणी के आवेदनों पर विशेष पुरस्कार हेतु विचार तभी किया जायेगा जबकि उक्त श्रेणी की इकाइयों में महिला/दिव्यांग/ एससी/एसटी श्रेणी की भागीदारी 51 प्रतिशत या उससे अधिक हो।

4. पुरस्कार हेतु पात्र इकाइयाँ:-

(i) इकाई पुरस्कार वर्ष के पूर्व 3 वर्षों से कार्यरत हो।

(ii) इकाई शासन/वित्तीय संस्थाओं की देयताओं की डिफाल्टर न हो।

(iii) इकाई किसी तरह के कर अपवंचन श्रेणी में न आती हो।

(iv) इकाई श्रम कानूनों, बाल श्रमिक कानूनों का उल्लंघन न कर रही हो।

(v) इकाई अपने कर्मचारियों/श्रमिकों के लिये पेंशन योजना के प्रावधानों का उल्लंघन न कर रही हो।

(vi) इकाई भारत सरकार/राज्य शासन के नियमों एवं वैधानिक औपचारिकताओं का उल्लंघन न कर रही हो एवं इकाई में किसी तरह की अपराधिक गतिविधि संचालित न हो।

5. आवेदन प्रक्रिया:-

(i) प्रदेश के सभी जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों, उद्योग संघों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से माह अप्रेल/मई में आवेदन हेतु सूचना प्रकाशित की जायेगी।

(ii) इकाइयों को आवेदन विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र पर करना होगा। (निर्धारित प्रपत्र परिशिष्ट- "अ" पर है)

(iii) आवेदन आमंत्रित किये जाने के दिनांक से 30 दिवस के अंदर आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। निर्धारित समयावधि में समुचित आवेदन प्राप्त न होने पर उद्योग आयुक्त की अनुमति से आवेदन प्राप्त करने की समय-सीमा बढ़ाई जा सकेगी।

(iv) आवेदन के साथ औद्योगिक इकाई को वांछित प्रपत्रों की साफ्ट कॉपी संलग्न करना आवश्यक होगा। वांछित प्रपत्र संलग्न न पाये जाने पर आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. चयन प्रक्रियाः–

उद्योग संचालनालय में ऑनलाइन प्रक्रिया से प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाकर पात्र इकाइयों के पूर्ण आवेदनों को **राज्य स्तरीय पुरस्कार समिति** के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। पुरस्कार समिति निम्नानुसार होगीः–

1.	उद्योग आयुक्त	–	अध्यक्ष
2.	प्रबंध संचालक, म.प्र. लघु उद्योग निगम के प्रतिनिधि	–	सदस्य
3.	निदेशक, एमएसएमई–डीआई, इन्दौर	–	सदस्य
4.	आवेदन करने वाली इकाइयों के क्षेत्र के परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी	–	सदस्य
5.	आवेदक इकाइयों से संबंधित जिला/राज्य स्तरीय लघु उद्योग संघ के प्रतिनिधि	–	सदस्य
6.	किसी एक बैंक के राज्य स्तरीय प्रतिनिधि	–	सदस्य
7.	संयुक्त/उप संचालक (एमएसएमई) उद्योग संचालनालय	–	सदस्य–सचिव

7. चयन के मापदण्डः–

राज्य स्तरीय पुरस्कारों के लिये इकाइयों का चयन निम्नानुसार मापदण्डों के आधार पर किया जायेगाः–

1.	उत्पादन क्षमता एवं वार्षिक उत्पादन को अनुपात	–	10 अंक
2.	निवेश पर लाभ का प्रतिशत	–	10 अंक
3.	नवीनतम तकनीक का उपयोग एवं उत्पाद विकास की क्षमता	–	10 अंक
4.	निर्यात अथवा Import Substitute	–	10 अंक
5.	उत्पाद की गुणवत्ता एवं गुणवत्ता नियंत्रक मानकों का उपयोग	–	10 अंक
6.	प्रबंधन	–	10 अंक
7.	कर्मचारी कल्याण एवं कर्मचारियों को दी जारी सुविधाएं	–	10 अंक

8. प्रदूषण नियंत्रण मानकों का उपयोग - 10 अंक

9. वेण्डर डेवलपमेंट कार्यक्रम - 10 अंक

10. ग्राहक सेवा संबंधी किए जा रहे कार्य - 10 अंक

8. चयन समिति की बैठकः-

चयन समिति की बैठक उद्योग संचालनालय द्वारा आयोजित की जायेगी तथा समिति का कोरम 5 सदस्यों से पूर्ण होगा, जिसमें समिति के क्रमांक 3,4,5,6 के सदस्यों की उपस्थिति वांछनीय होगी।

9. पुरस्कार के लिये सामान्य श्रेणी की इकाइयों को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। महिला, दिव्यांग एवं एससी/एसटी श्रेणी की इकाइयों के लिये पुरस्कार हेतु न्यूनतम अर्हता 50 प्रतिशत अंकों की रहेगी।

10. चयन समिति द्वारा पुरस्कार हेतु चयनित इकाइयों को पुरस्कार देने के लिये अपनी अनुशंसा शासन को प्रस्तुत की जायेगी तथा शासन के अनुमोदन के पश्चात इकाइयों को पुरस्कार दिये जाने की घोषणा की जायेगी।

11. राज्य स्तरीय पुरस्कार हेतु चयनित इकाइयों को पुरस्कार विभाग द्वारा समारोह के माध्यम से प्रदान किये जायेंगे। समारोह में पुरस्कार हेतु चयनित इकाइयों के मालिक/भागीदार/प्रतिनिधि को आमंत्रित किया जाकर पुरस्कार राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जायेगा।

12. पुरस्कार की प्रकिया में आवश्यकतानुसार संशोधन के अधिकार उद्योग आयुक्त को रहेंगे।

Form Field Hindi

एमएसएमई अवॉर्ड योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म

	इकाई का विवरण				
1	इकाई का नाम	Text Box			
	क्या इकाई महिला उद्यमी द्वारा स्थापित एवं संचालित है (51% या अधिक साझेदारी होने पर)	Dropdown (Yes/No)			
	क्या इकाई दिव्यांग उद्यमी द्वारा स्थापित एवं संचालित है (51% या अधिक साझेदारी होने पर)	Dropdown (Yes/No)			
	इकाई की श्रेणी का चयन करें (51% या अधिक साझेदारी होने पर)	Dropdown (सामान्य / एससी / एसटी)			
	निजी/ पार्टनर का नाम (option to add)	Text Box	Type	Dropdown (निजी/ पार्टनर)	हिस्सेदारी %
	उद्योग के प्रकार	Dropdown (सूक्ष्म/लघु/मध्यम)			
	संगठन का प्रकार	विनिर्माण			
	इकाई का पता	Text Box			
	टेलीफोन नंबर	Number			
	ईमेल	email format			
	अधिकृत व्यक्ति का नाम (यदि लागू हो)	Text Box			
	GST	Text Box			
	मोबाइल नंबर	Number			
2	यूएएम / ईएम 1 / स्थायी पंजीकरण संख्या	Alphanumeric			
	पंजीकरण की तिथि	Date Control			

3	स्थायी सम्पति			
S.No	विवरण	मूल्य (₹)		
1	भूमि	number		
2	भवन	number		
3	प्लांट एवं मशीनरी	number		
4	अन्य विविध व्यय	number		
5	कार्यशील पूंजी	number		
6	कुल लागत	Auto sum		

4	रोज़गार				
A	स्थायी कर्मचारी	number			
1	महिला	number			
2	पुरुष	number			
3	अनुसूचित जाति	number			
4	अनुसूचित जनजाति	number			
5	दिव्यांग	number			
6	अन्य पिछड़ा वर्ग	number			
B	अस्थायी कर्मचारी	number			
1	महिला	number			
2	पुरुष	number			
	कुल रोजगार	Auto sum (A+B)			
5	उत्पाद का नाम	उत्पादन क्षमता	रिमार्क		
1	Text	number	Text		
2	Option to add				
6	स्थापित संयंत्र और मशीनरी का नाम	स्वदेशी / आयातित	लागत (₹)		
1	Text	Dropdown	Number		
2	Option to add				
7	पिछले तीन वर्षों में स्थापित क्षमता और उसमें किया गया उत्पादन				
S.no	उत्पाद का नाम	वर्ष	उत्पादन क्षमता	हासिल क्षमता	(%)
1	Text	Year Dropdown	Number	Number	
2					
3					
8	गुणवता प्रमाणन (यदि कोई है)। विवरण दिया जाना है	(Yes/No) Dropdown			
	यदि हां, कृपया विवरण दें	Text Box			
9	वार्षिक उत्पादन लागत (पिछले तीन वर्षो)				
	वर्ष	मूल्य (₹)			
	Year Dropdown				
	Year Dropdown				
	Year Dropdown				
10	बिक्री, लाभ और लाभ % (पिछले तीन वर्षो)				
	वर्ष	लाभ (₹)	लाभ (%)	रिमार्क	
	Year Dropdown	Number		Text	
	Year Dropdown	Number		Text	
	Year Dropdown	Number		Text	

11	शुद्ध लाभ (पिछले तीन वर्षों)			
S.No	वर्ष	लाभ (₹)	लाभ (%)	रिमार्क
1	Year Dropdown	Number		Text
2	Year Dropdown	Number		Text
3	Year Dropdown	Number		Text
12	कोई भी विशेष कार्यक्रम / योजना तीवरेज जैसे पेटेंट / / गुणवत्ता प्रमाणन इत्यादि?	(Yes/No) Dropdown		
	यदि हां, कृपया विवरण दें	Text Box		
13	अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी या कोई तकनीकी सहयोग किया?	(Yes/No) Dropdown		
	यदि हां, कृपया विवरण दें	Text Box		

14	निर्यात की जानकारी (पिछले तीन वर्षों)				
S.No	उत्पाद	देश	वर्ष	मात्रा	अवधि
1	Text Box	Dropdown	Dropdown	alphanumeric	Financial Year from and To
2	Text Box				
3	Text Box				

15	क्या आप स्टार्ट अप श्रेणी के अंतर्गत हैं?	(Yes/No) Dropdown
	यदि हां, कृपया विवरण दें	Text Box
16	क्या इकाई सीएसआर गतिविधियों में शामिल है	(Yes/No) Dropdown
	यदि हां, कृपया विवरण दें	Text Box

17	स्रोत और बिजली का उपयोग (पिछले तीन वर्षों की जानकारी)		
S.No	वर्ष	स्रोत	उपयोग (यूनिट)
		Text	alphanumeric
1	Year Dropdown		
2	Year Dropdown		
3	Year Dropdown		

18	प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली पर जानकारी (विस्तृत विवरण के साथ)		
S.NO	प्रदूषण नियंत्रण उपकरण का नाम	मूल्य (₹)	स्थापना वर्ष
1	Text (Please provide option to add details)		Year Dropdown

19	वित्तीय प्रबंधन पर जानकारी (₹)	
1	मालिकों / शेयरधारकों का योगदान	number
2	पोषित संस्थान का नाम	Text
3	पोषित संस्थान का पता	Text

4	वित्तीय संस्थानों से ऋण	number		
5	कोई अन्य स्रोत	number		
20	ऋण अदायगी की जानकारी			
1	(वार्षिक / मासिक) किस्त की जानकारी (₹)	Dropdown (Yearly/Monthly)		
2	ऋण अदायगी की जानकारी	Dropdown (Regular/Non-Regular)		
21	पिछले 3 वर्षों में कर अदायगी पर जानकारी (संस्थागत)			
	वर्ष	एजेंसी / विभाग का नाम	राशि (₹)	
	Dropdown	Text Box	Number	
	Option to add			
22	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी			
	Text			
	Option to add			

VERIFICATION

मैं, <यूनिट नाम> से <अधिकृत व्यक्ति का नाम>, <मालिक / मालिक / निदेशक /> प्रमाणित करता/करती हूँ कि पंजीकरण फॉर्म में प्रदान की गई जानकारी और यहां जुड़े सभी रिकॉर्ड सही हैं । मुझे जानकारी प्रदान करने के लिए यूनिट द्वारा अधिकृत किया गया है। यदि उपरोक्त में से कोई भी जानकारी गलत पाई गई है, तो मेरा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Enclosures List

1	भारतीय भागीदारी अधिनियम के अंतर्गत डीड
2	इकाई की श्रेणी प्रमाण पत्र
3	यूएएम / ईएम 1 / स्थायी पंजीकरण संख्या
4	गुणवत्ता प्रमाण पत्र
5	पेटेंट / जेड / गुणवत्ता प्रमाण पत्र
6	कर्मचारी कल्याण योजना / सीएसआर / परामर्श सुविधा
7	पिछले 3 वर्षों में कर अदायगी पर जानकारी (संस्थागत)
8	अगर इकाई के अधिकृत व्यक्ति द्वारा आवेदन किया जाता है तो प्राधिकार पत्र संलग्न करें
9	कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी
	Option to add attchement

सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यम पुरस्कार योजना में आवेदन हेतु प्रापत्र-

1.	उद्यम का नाम	....
2.	पूरा पता, टेलीफोन नम्बर/ ई-मेल	....
3.	स्थायी पंजीयन/EMPart II / उद्योग आधार मेरोरेण्डम(UAM) क्रमांक एवं दिनांक	....
4.	पूंजी विनियोजन-	....
	(क) स्थाई पूंजी	....
	(ख) कार्यशील पूंजी	....
5.	रोजगार-	....
	(क) स्थाई-	....
	(1) महिला (संख्या)	....
	(2) पुरूष (संख्या)	....
	(3) अनुसूचित जाति (संख्या)	....
	(4) जनजाति (संख्या)	....

6.

उत्पाद का नाम	क्षमता	रिमार्क
(1) .... (2) .... (3)		

7.

स्थापित प्लांट एण्ड मशीनरी का नाम		स्वदेशी/आयतित	मूल्य
(1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			
(6)			
(7)			

8. विगत तीन वर्षो में स्थापित क्षमता एवं उसके विरूद्ध किए गए उत्पादन का प्रतिशत-.

उत्पाद का नाम		वर्ष	स्थापित क्षमता	किया गया उत्पादन	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत
(क)					
(ख)					
(ग)					

9. गुणवत्ता प्रमाणीकरण- यदि प्राप्त है तो वितरण दें-

....

10. वार्षिक उत्पादन लागत - (विगत तीन वर्षों की)

(1) ....

(2) ....

(3) ....

11. विक्रय से प्राप्त राशि - (विगत तीन वर्षों की) एवं लागत के अनुसार लाभ का प्रतिशत -

(1) ....

(2) ....

(3) ....

12. शुद्ध लाभ- (विगत तीन वर्षो की) एवं लाभ का प्रतिशत

(1)	वर्ष	लाभ	लाभ का प्रतिशत	रिमार्क
(2)				
(3)				
(4)				
(5)				
(6)				
(7)				

13. क्या ISO / गुणवत्ता प्रमाणीकरण/आदि जैसे विशेष कार्यक्रम अपनाए गए है, तो विवरण दें, यदि नहीं तो क्या आवेदन किया है?

....

14. क्या किसी नवीनतम तकनीक पर उपयोग अथवा Technical Collaboration किया गया है। यदि हाँ तो जानकारी दें –

....

15. निर्यात की जानकारी – विगत तीन वर्षो की (किस देश को कितनी मात्रा में कितनी राशि का निर्यात किया । पूर्ण विवरण)–

(1)	उत्पाद	देश	वर्ष	मात्रा	अवधि
(2)					
(3)					

16. ऊर्जा का स्त्रोत एवं खपत – (विगत तीन वर्ष की जानकारी)

कमांक	वर्ष	स्त्रोत	अवधि
(1)			
(2)			
(3)			

17. प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली की जानकारी (विस्तृत विवरण सहित)

कमांक	प्रदूषण नियंत्रक उपकरण का नाम	मूल्य	स्थापना का वर्ष
(1)			
(2)			

18. वित्तीय प्रबंधन की जानकारी –

(1) मालिक/भागीदारों की ओर से लगाई गई राशि रूपए ....

(2) वित्तीय संस्थानों से ऋण रूपए ....

(3) अन्य स्त्रोत से रूपए ....

२

....

20. ऋण अदायगी की जानकारी –

(1) निर्धारित किश्तों की (वार्षिक/मासिक) राशि रूपए ....

(2) ऋण अदायगी की जानकारी –

(अ) नियमित ....

(ब) अनियमित ....

21. कर अदायगी की जानकारी – संस्थावार – ....

(देयताओं के प्रमाणीकरण हेतु रसीदें संलग्न) ....

22. अन्य जानकारी जो आवश्यक समझें ....

....

सत्यापन

मैं, ... (इकाई का नाम) मालिक/भागीदार/संचालक/मुख्त्यार यह सत्यापित करता हूँ कि आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 1 से 22 तक दी गई समस्त जानकारी एवं पुष्टि हेतु संलग्न समस्त अभिलेख सही है और इकाई/कम्पनी की ओर से उक्त जानकारी देने के लिए इकाई/कम्पनी द्वारा मुझे अधिकृत किया गया है। उपरोक्त में से कोई भी जानकारी गलत पाए जाने पर मेरा आवेदन निरस्त मान्यकर दिया जाए।

संलग्न :- सहपत्रों की सूची

दिनांक / / 20

आवेदक के हस्ताक्षर

नाम–

पद–

मो0न0–

ई–मेल.–

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन